



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 -2970177 ई :मेल-registrar@mgsbikaner.ac.in

प.07(170)मगंसिविबी./विद्या परिषद्-22/2023/274

दिनांक : 23/08/2023

कार्यालय आदेश


शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारम्भ होने एवं विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद् की 22 वीं बैठक दिनांक 21-08-2023 के विनिर्णय संख्या 06 एवं 07 की पालना सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12 (6) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विनिर्णय : 06

1. सत्र 2023-24 से स्नातक स्तर प्रथम वर्ष से सेमेस्टर (सी.बी.सी.एस.) प्रणाली के अनुसार पाठ्यक्रम प्रभावी होंगे
2. स्नातकोत्तर स्तर पर कला, सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में आगामी सत्र 2024-25 से सेमेस्टर प्रणाली प्रभावी होगी।
3. अध्ययन बोर्ड द्वारा सत्र 2023-24 के लिए पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तुत अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाता है।

विनिर्णय संख्या :07 (3)

- 1 प्रायोगिक विषयों में स्वयंपाठी विद्यार्थियों को अनुमति प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी आदेश को आगामी सत्र 2023-24 तक के लिए बढ़ाया जाता है।


23/8/23
(अरुण प्रकाश शर्मा)
कुलसचिव

दिनांक :

प.07(170)मगंसिविबी./विद्या परिषद्-22/2023/

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

1. निजी सचिव-कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं सहप्रभारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. समस्त संयोजक एवं सदस्यगण, अध्ययन बोर्ड, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. समस्त प्राचार्यगण, सम्बद्ध महाविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रसारित करावें।

(डॉ. बिट्टल बिस्सा)
अतिरिक्त कुलसचिव